न्यायालय उपखण्ड अधिकारी रैणी, जिला अलवर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार सिघंल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सख्या : 1/414/2018
तारीख दायरा : 11.05.2018

उनवान

1.हरसहाय पुत्र मनफूल जाति मीना निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर(मृतक)
1/1.जगदीश पुत्र हरसहाय जाति मीना निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर।
1/2.सूवालाल पुत्र हरसहाय जाति मीना निवासी ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर।

..............वादीगण।

बनाम

1.मु0 मूली बेवा मोहनलाल जाति मीना।
2.रामहेत पुत्र मोहनलाल जाति मीना।
3.मूलचन्द पुत्र मोहनलाल जाति मीना।
4.कैलाश पुत्र मोहनलाल जाति मीना।
5.मोतीलाल पुत्र मोहनलाल जाति मीना निवासीयान् ग्राम ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर।
6.नहना पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी ईटोली तहसील रैणी जिला अलवर (मृतक)
6/1.रामस्वरूप पुत्र स्व0 नहना जाति निवासी ईटोली।
6/2.बाबूलाल पुत्र स्व0 नहना जाति मीना निवासी ईटोली।
6/3.गणेश पुत्र स्व0 नहना जाति मीना निवासी ईटोली।
7.अर्जुन पुत्र रामनारायण जाति मीना निवासी ईटोली।
8.मु.जलको बेवा भोला जाति मीना निवासी ईटोली।
9.सुरजन पुत्र भोला जाति मीना निवासी ईटोली।
10.हजारी पुत्र भोला जाति मीना निवासी ईटोली।
11.सब रजिस्टार रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।
12.शाखा प्रबन्धक, पंजाब नैशनल बैंक शाखा रैणी तहसील रैणी जिला अलवर।

.............प्रतिवादीगण।

(दावा इस्तकराहक व हुक्मइन्ताई दवामी)

दिनांकः 01.04.2022

न्यायालय द्वारा :-

:: निर्णय ::

वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र के संक्षेप में सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.29, 1101/1707 रकबा 0.13 वाके ग्राम ईटोली में स्थित है। उक्त आराजी राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी सख्या 1 ला.5 के नाम 1/4 हि. प्रतिवादी न.6 के नाम 1/5 हि., प्रतिवादी न.7 के नाम 1/4 हि. व प्रतिवादी स. 8 ला.10 के पिता व पति मृतक भोला के नाम 1/5 हि. खातेदारी में दर्ज है। उपरोक्त आराजी के सम्वत् 2020 में गत खसरा नम्बर 471 रकबा 3 बीधा 1 बिस्वा, 471मिन शा.न. 1100 व 471 शा.न. 1101 से बनाया गया है तथा उक्त गत खसरा नम्बर 471 रकबा 3 बीधा 1 बिस्वा,

471 मिन, 471 मिन को गत खसरा नम्बर 462 मिन रकबा 5 बिस्वा, 464 रकबा 2 बीधा 16 बिस्वा से कायम किया गया है और इसके अलावा गत खसरा नम्बर 462 का कुल रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा था जिसका इन्द्राज राजस्व रिकार्ड जमाबन्दी व मिलान क्षेत्रफल में दर्ज है।

उक्त आराजी वादी के बुजुर्गान की पैत्रृक भूमि रही है जो वादी को अपने बुजुर्गान से दीगर आराजी के बंटवारे में विरासत में प्राप्त हुई है। वादी के बुजुर्ग गोपाल के तीन पुत्र नारायण, मनफूल, व राज्या थे। नारायण के गोकल एक पुत्र था तथा मनफूल के तीन पुत्र परसादी, रामकुवार, हरसहाय (वादी) है तथा राज्या फौत हो चुका है। विवादित आराजी स. 2020 से काफी सालों पूर्व से ही ख.न. 462 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा को वादी का चाचा राज्या 1/3 हिस्से पर काबिज होकर काश्त करता था जिसका इन्द्राज जमाबन्दी स. 2014 में दर्ज है तथा इसी खसरा नम्बर 462 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा में वादी के चाचा राज्या के नाम स. 2018 की जमाबन्दी में 1/3 हिस्सा की खातेदारी में दर्ज है। खसरा गिरदावरी स. 2021 एवं 2023–26, 2027–30, 2035–2038, एवं 2039–2042 के अनुसार आराजी ख.न. 462 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा रकबे पर वादी के बुजुर्गान वादी का पिता मनफूल वादी के पिता के भाई परसादी व रामकुवार के नाम पुराना कब्जा काश्त दर्ज है।

हाल बन्दोबस्त सम्वत् 2046 में वादी की आराजीयात के नये नम्बरान् बनाये गये है जो हाल खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.29, 1101/1707 रकबा 0.13 बने है जिन पर वादी अपने बुजुर्गान के समय से काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। विवादित आराजी का सम्वत् 2020 एवं सम्वत् 2046 में प्रतिवादीगण के नाम का अकंन हुआ है जो खिलाफ मौका व खिलाफ कानून है तथा इन्द्राज दुरूष्त किये जाने योग्य है। उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण के नाम का अकंन होने से वादीगण के हक व अधिकारों का हनन हो रहा है। बन्दोबस्त विभाग द्वारा किये गये इन्द्राज गलत है जिन्हे दुरूष्त किया जाकर वादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किया जावे।

वादीगण का दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से जवाब दावा प्रस्तुत कर उल्लेख किया है कि वादीगण ने विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर गलत दर्ज किये गये है तथा परिवार का सजरा भी गलत दर्शाया गया है। राज्या के वारिसान के नाम दर्ज नहीं किये गये है। नारायण के वारिसान के भी पूरे नाम दर्ज नहीं किये गये है। खसरा न. 462 रकबा 2 बीधा 10 बिस्वा पर वादी के चाचा राज्य ने कभी काश्त नहीं की। स. 2018 की जमाबन्दी से वादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं होते है। वादी को स. 2012 व 2016 की जमाबन्दी पेश करनी चाहिए थी जो उसके द्वारा नहीं की गई। स. 2020 व 2046 में बन्दोबस्त के दौरान् मौके व कब्जे के अनुसार व पुराने रिकार्ड के आधार पर सही इन्द्राज नियमानुसार किये गये है। वादी अकेला ही मनफूल का वारिस नहीं अपितु उसके भाई भी विधिक वारिसान है। मनफूल के अन्य वारिसान भी आवश्यक पक्षकार है जिन्हे पक्षकार नहीं बनाया गया। वादीगण का दावा साबित नहीं होता है इसलिए खारिज किया जावे।

उपरोक्त अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में निम्न विवाद्यक विरचित किये जाकर मौखिक साक्ष्य लेखबद्ध किये गये।

वादीगण की ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वंय वादी जगदीश पुत्र हरसहाय पी.ड.1, हरिकिशन पुत्र छोटूराम पी.ड.2, लिछमन पुत्र किशनलाल पी.ड.3, के शपथ पत्र पेश किये गये। दस्तावेजी साक्ष्य में जमाबन्दी स. 2064 ला.67, जमाबन्दी स. 2014 एवं सम्वत् 2018, खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021 ला.22, खसरा गिरदावरी स. 2023–26, खसरा गिरदावरी स. 2027–30, खसरा गिरदावरी स. 2035–38, खसरा

गिरदावरी स. 2039–42, नकल मिलान क्षेत्रफल स. 2020 एवं सम्वत् 2046 की सत्यप्रतिलिपियॉं पेश की गई।

हमने योग्य अधिवक्ता वादीगण की बहस सुनी। साथ ही लिखित बहस भी पेश की गई। योग्य अधिवक्ता पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेख व लिखित बहस की ओर हमारा ध्यान आकृर्षित करते हुये वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा दावा वादी डिकी किये जाने का निवेदन किया गया।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रकरण का तनकीवार विवेचन निम्न प्रकार है :–

तनकी न0 1:– आया वादी हाल ख.न.1100 रकबा 0.29 व 1101/1707 रकबा 0.13 है0 वाके ग्राम ईटोली तह0 रैणी का वादी खातेदारी घोषित कराने व बन्दोबस्त स. 2020 व 2046 में प्रतिवादीगण के नाम खातेदारी इन्द्राज को हजफ कराने का अधिकारी है।

......वादीगण।

इस तनकी को साबित करने का भार वादीगण पर है। इस सम्बन्ध में वादीगण की ओर से प्रस्तुत राजस्व अभिलेख का अवलोकन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी स. 2014 के अनुसार साबिक ख.न. 462 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर राज्या मुन्दर्जे खाता सख्ंया 87 हिस्सेदार का अकंन दर्ज है। इसी प्रकार का अकंन जमाबन्दी स. 2018 की जमाबन्दी में हो रहा है। खसरा गिरदावरी सम्वत् 2021 ला.22 , खसरा गिरदावरी स. 2023–26, खसरा गिरदावरी स. 2027–30, खसरा गिरदावरी स. 2035–38, खसरा गिरदावरी स. 2039–42 में साबिक ख.न. 462 रकबा 2 बीघा 10 बिस्वा पर मनफूल, परसादी रामकुवांर वादी के नाम कब्जा काश्त का अकंन दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार विवादित आराजी के सम्वत् स. 2046 से पूर्व गत ख.न. 471 था तथा सम्वत् 2020 से पूर्व 462 था। वर्तमान राजस्व रिकार्ड में विवादित आराजी पर प्रतिवादी सख्ंया 1 से 5 का 1/4हि0 , प्रतिवादी स. 6 का 1/5 हि., प्रतिवादी सख्ंया 7 का 1/4हि., प्रतिवादी स. 8 ला.10 का 1/4 हि0 दर्ज है।

उपरोक्त राजस्व रिकार्ड के अवलोकन से यह तथ्य स्पष्ट होता है कि में जमाबन्दी सम्वत् 2014 एवं 2018 जो रिकार्ड आफॅ राईट दस्तावेज है के अनुसार विवादित आराजी के गत खसरा नम्बर पर वादी के चाचा राज्या 1/3 हिस्से का हिस्सेदार था। परन्तु वादी ने जो कथन अपने वाद पत्र में किये है उनका समर्थन उक्त दस्तावेजी साक्ष्य जमाबन्दी से नहीं होता है। वादीगण का कथन है कि सम्वत् 2020 एंव 2046 में प्रतिवादीगण के नाम का अंकन किया गया है। परन्तु वादीगण ने इस कथन को साबित करने के लिए सम्वत् 2020 व 2046 की जमाबन्दीयॉं प्रस्तुत नहीं की है जो कि इस बिन्दु को तय करने के लिए एक अहम दस्तावेज है। सम्वत् 2020 व 2046 में बन्दोबस्त हुआ और उस समय क्या इन्द्राज पर्रिवतन किये गये, बिना जमाबन्दी के यह तथ्य तय नहीं किया जा सकता। केवल खसरा गिरदावरी में काश्त का अकंन होने से यह साबित नहीं होता कि उक्त आराजी उसकी खातेदारी की रही है और ना ही खसरा गिरदावरी में कब्जे के आधार पर खातेदारी राईट्स प्राप्त हो सकते है।

वादीगण द्वारा अपने परिवाद का जो सजरा वाद पत्र में पेश किया है वह भी अपूर्ण है। इस सजरे को भी वादीगण द्वारा किसी दस्तावेजी साक्ष्य व मौखिक साक्ष्य से साबित नहीं किया गया है। वादीगण द्वारा अपने वाद पत्र में कथन किया गया है राज्या वादीगण का चाचा है। चूंकि जब वादीगण स्वंय तीन भाई कमशः परसादी,रामकुवार व स्वंय वादी है तो ऐसी स्थिति में स्वंय वादी अकेला ही कैसे राज्या(वादीगण का चाचा) का वारिस हो सकता है। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि क्या राज्या के कोई जायन्दा सन्तान नहीं है और यदि है तो वादीगण द्वारा उसका उल्लेख क्यों नहीं किया गया है और यदि नहीं है तो उस स्थिति में राज्या के वादीगण के अतिरिक्त विधिक उत्तराधिकारी कौन–कौन है। क्या राज्या के दो अन्य भाई उसके विधिक उत्तराधिकारी नहीं है। क्या हरसहाय के अतिरिक्त उसके दो भाई

राजस्थान सरकार

परसादी व रामकुवार राज्या के उत्तराधिकारी नहीं है। इस प्रकार वादीगण के सजरे को देखने से कई विधिक बिन्दु पैदा होते है। वादीगण को राज्या के विधिक उत्तराधिकारी होने के तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य से साबित करना आवश्यक है। पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व मौखिक साक्ष्यों से यह तथ्य कतई साबित नहीं होता है कि आया वादीगण ही राज्या के विधिक उत्तराधिकारी है।

वादीगण का कथन है कि उक्त आराजी वादी के बुजुर्गान की पैत्रक भूमि रही है जो वादी को अपने बुजुर्गान से दीगर आराजी के बंटवारे में विरासत में प्राप्त हुई है। परन्तु पत्रावली में ऐसा कोई प्रलेखीय साक्ष्य मौजूद नहीं है जिससे इस कथन की पुष्टि होती हो कि उक्त आराजी वादी को अपने बुजुर्गान से दीगर आराजी के बंटवारे में विरासत में प्राप्त हुई हो।

अतः उपरोक्त समग्र विवेचन के उपरान्त हम यह पाते है कि वादीगण इस तनकी को साबित करने में असफल रहा है। लिहाजा तनकी न.1 विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

तनकी न0 2:– आया वादी उक्त वर्णित आराजी के लिए प्रतिवादीगण को उसके कार्यकाश्त में रूकावट व मजाहमत न करने व मुन्तकिल न करने बाबत हुक्मइन्तनाई दवामी से पाबन्द कराने का अधिकारी है।

....वादीगण।

जैसाबिक तनकी न.1 में विवेचित किया जा चुका है कि वादीगण विवादित आराजी की खातेदारी अधिकार प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। इसलिए ऐसी स्थिति में स्थाई निषेघाज्ञा का अनुतोष विरूद्व प्रतिवादीगण प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। अतः तनकी न. 2 विरूद्व वादीगण तय की जाती है।

तनकी न. 3:– अन्य दादरसी । :– खर्चा पक्षकारान् अपना अपना वहन करेगें।

उपरोक्त तनकीयात के विवेचन के उपरान्त दावा वादीगण खारिज किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

आदेश

दावा वादीगण बाबत आराजी खसरा नम्बर 1100 रकबा 0.29, 1101/1707 रकबा 0.13 वाके ग्राम ईटोली तहसील रैणी दस्तावेजी साक्ष्य से साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। पर्चा डिक्री जारी हो।

1.4.22

(अनिल कुमार सिघंल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)

निर्णय आज दिनांक 01.04.2022 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर हस्ताक्षरित/मुद्राकिंत कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

1.4.22

(अनिल कुमार सिघंल)
उपखण्ड अधिकारी
रैणी (अलवर)